न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/160/25	2025/229	21.07.2025	30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. मु. रसूली पत्नी स्व. फिरोजी जाति मेव सा. केसरपुर तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम बाढकेशरपुर तहसील व जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 17 रकबा 0.38 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामली अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा न0 17 रकबा 0.38 है0 भूमि अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिये आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन/नियमन की प्रक्रिया राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों व शर्तों की पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

संलग्न पटवारी हल्का उमरैण की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्ष 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को हाल आराजी खसरा न0 17 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम बाढकेशरपुर का किया गया, को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित रहा है, अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी (गैर—खातेदार) मु. रसूली पत्नी स्व. फिरोजी जाति मेव सा. केसरपुर, तहसील अलवर को हाल आराजी खसरा न0 17 रकबा 0.38 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का उमरैण की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 के अनुसार उक्त आराजी मुताबिक हाल जमाबंदी अनुसार ग्राम बाढ केसरपुर के हाल खसरा नंबर 17 रकबा 0.38 है0 किस्म नहरी—2 अप्रार्थी मु. रसूली पत्नी स्व. फिरोजी जाति मेव सा. केसरपुर गैर खातेदार अलोटी 23 साल दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

गैर–खातेदार का कब्जा नहीं है। उप. ग्रामिणों के बताये अनुसार गैर खातेदार के द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की जा रही है। मौके पर उक्त आराजी में कृषि कार्य अन्य द्वारा किया जा रहा है। कोई पक्का निर्माण नहीं है। उक्त आराजी में रामलाल पुत्र नारायणलाल जाति अहीर निवासी बाढकेशरपुर के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम बाढकेशरपुर वन विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.07.2012 के तहत संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित है। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट तथा वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से स्पष्ट है कि उक्त आवंटन संरक्षित वन क्षेत्र अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम विरूद्ध किया गया है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम बाढकेशरपुर, तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से वन संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित/अधिसूचित किया जा चुका है। प्रार्थी के अनुसार प्रकरण में वर्णित उक्त आराजी संरक्षित वन क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित एवं घोषित है। उक्त आवंटन की प्रक्रिया में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किया गया है, जो नियम एवं विधि विरूद्ध है। आवंटी (मु. रसूली) गैर खातेदार (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने एवं उक्त आराजी संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार करने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी (गैर–खातेदार) मु. रसूली पत्नी स्व. फिरोजी जाति मेव सा. केसरपुर, तहसील अलवर को हाल आराजी खसरा न0 17 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम बाढकेशरपुर भूमि का किया गया आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)